IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जनपद पीलीभीत के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता, व्यवस्था तथा प्रभावशीलता विषयक अध्ययन।

वीरेन्द्र कुमार
प्रवक्ता
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बीसलपुर, पीलीभीत

महेन्द्र कुमार सिंह
उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बीसलपुर, पीलीभीत

सार–तत्व

प्रस्तुत शोध पत्र में पीलीभीत जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता, व्यवस्था तथा प्रभावशीलता सम्बन्धित आयामों पर दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। इस शोध के न्यादर्श का चुनाव संयोगजन्य विधि द्वारा किया गया है। न्यादर्श के रूप में कुल 200 शिक्षक जिसमें 100 शिक्षक तथा 100 शिक्षिकायें थी, को चुना गया। शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए शोधकर्ता के द्वारा स्वयं ''मध्यान्ह भोजन योजना दृष्टिकोण मापनी'' प्रश्नावली का निर्माण किया गया। आंकड़ो के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। शोध विश्लेषण के बाद यह पता लगा कि जनपद पीलीभीत में मध्यान्ह भोजन योजना की व्ययस्था, जागरूकता तथा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

कूट शब्द– परिषदीय विद्यालय, मध्यान्ह भोजन योजना, व्यवस्था, जागरूकता, प्रभावशीलता।

प्रस्तावना– शिक्षा जीवन का संपूर्ण शास्त्र है। शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन है जिससे समाज अपने ही अस्तित्व को सुरक्षित रखता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान पिपासा जगाने के साथ–साथ व्यक्ति को संस्कारी, विचारवान और संयमी प्राणी बनाना है। शिक्षा अच्छे–बुरे से अवगत कराकर व्यक्ति को तर्कशील प्राणी बनाती है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य एक स्वस्थ्य, विवेकशील, चिन्तनशील नागरिक का निर्माण करना है जो अपने दायित्वों का निर्वहन समाज व देश की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतन्त्र रूप से कर सकें।

बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, उन्हे ऐसी शिक्षा देना जिससे वह अपने आस–पास की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के प्रति सजग हो सकें, राष्ट्र के लिए निहायत बुनियादी और आवश्यक है। शिक्षा परिवर्तन का सबसे बडा औजार होती है और इसके माध्यम से व्यक्ति का सशक्तिकरण संभव है। शिक्षा के द्वारा असहाय शिशु को समर्थ बनाया जाता है और जन्म से उसमें जो दोष होते हैं उन्हे दूर किया जाता है। शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि इससे ऐसी सुयोग्य एवं रचनाशील श्रम शक्ति के निर्माण में सहायता मिलेगी जिससे नयी प्रौद्योगिकी एवं उच्च दर्जे के ज्ञान को आत्मसात् किया जा सकेगा, साथ ही साथ ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो सकेगा। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में नवीन प्रवृत्तियों को अपनाया जा सकेगा और इस तरह नवीन संततियों को सामाजिक बदलाव हेतु तैयार किया जा सकेगा। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है।

त्यागी (2002, पृ0–231) के अनुसार ''राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है, उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नही है। राष्ट्रीय विचारधारा या चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है, उतना किसी सामाजिक राजनीतिक गतिविधि का नही है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न हो कर देश की पूरी जनसंख्या से होता है।'' विद्यालय जीवन से ही बालक में स्वस्थ प्रतियोगी भावना, सहयोग, नेतृत्व, समय पालन एवं अनुशासन आदि आदतों का विकास होता है जिसका प्रभाव उसके भावी जीवन पर पड़ता है और यही प्रभाव उसके स्वयं तथा देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में **कोठारी कमीशन** (लाल–2005 पृ0– 456) ने कहा था कि ''भारत के भविष्य का निर्माण उसकी पाठशालाओं में हो रहा है।''

बालक के विषय में कहा जाता है कि इनका मस्तिष्क कच्ची मिट्टी के समान होता है और शिक्षक रूपी कुम्हार इसे अपने द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा से जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है, अर्थात शिक्षक अपनी शिक्षा द्वारा अच्छे गुणों को प्रोत्साहित कर बुरे गुणों को दूर करके उन्हे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायता करता है।

अध्ययन की आवश्यकता– भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विद्यालयी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा साथ–साथ बच्चों में अधिक प्रतिरोधक शक्ति का विकास करना आवश्यक है क्योंकि अधिक प्रतिरोधक शक्ति के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना की जा सकती है और अच्छा स्वास्थ्य ही मानसिक एवं सामाजिक उन्नति का आधार है। इस सम्बन्ध में अरस्तु (लाल 2006 पृ0 34) ने कहा है कि ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।'' अर्थात् यदि बालकों का शरीर स्वस्थ होगा तब वह अपने स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग कर राष्ट्र की बहुआयामी प्रगति में अपना योगदान देगें।

राजकीय/परिषदीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पड़ रहे बच्चों को उनके नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय में ही समुचित पोषण प्रदान करने की दृष्टि से मध्यान्ह भोजन योजना को भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। तत्समय विद्यालयों में पंजीकृत 6–14 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं की 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 03 किलोग्राम गेंहू अथवा चावल देने की व्यवस्था थी परन्तु केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने से बच्चों के स्वास्थ एवं उनकी विद्यालय में उपस्थिति पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा।

मध्यान्ह भोजन योजना संदर्शिका (जुलाई 2006) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 28.11.2001 को निर्देशित किया कि 03 माह के अन्दर सरकार प्रत्येक राजकीय एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता का पका–पकाया भोजन उपलब्ध करायेगी। इसी क्रम में 01 सितम्बर 2004 से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पका–पकाया मध्यान्ह भोजन देने की योजना प्रारम्भ हो गयी। इस योजना से विद्यालयों में पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ–साथ विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध करा कर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई–चारे की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मध्यान्ह भोजन योजना को और अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य और बाल–वाटिकाओ में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना में समाहित करते हुए वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.निर्माण) कर दिया गया है तथापि इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन में कमियों के सम्बन्ध में अनेक खबरें प्रकाश में आती रहती हैं। यथा–

अमर उजाला, हरदोई, 7 मार्च 2024 के अनुसार

''विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनकर ठेकेदार के यहा से विद्यालयों में भिजवाया जा रहा है।''

अमृत विचार, लखीमपुर खीरी, 17 फरवरी 2024 के अनुसार

''69 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना में छात्रों की उपस्थिति शून्य, प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका।''

कैरियर 360, 20 फरवरी 2023 के अनुसार

''यूपी में मिड–डे–मील कर्मियों को महीनों से भुगतान नही, फण्ड में देरी।''

दैनिक भास्कर, 29 जुलाई 2022 के अनुसार

''उधार की हांडी में पक रहा खाना, 3 महीने से नहीं मिला मध्यान्ह भोजन योजना का पैसा।''

चूंकि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग के साथ ही विद्यालयी व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। विद्यालयी क्रिया–किलापों में उसकी भूमिका अनिवार्य रहती है। मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में भी अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा योजना के सफलतापूर्वक संचालन मे अपना योगदान देते हैं। यदि अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से नही करेगें तब योजना की सफलता की बात करना बेमानी होगी। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के तीन आयाम व्यवस्था, जागरूकता तथा प्रभावशीलता के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानने की आवश्यकता महसूस हुई।

अध्ययन का शीर्षक– ''जनपद पीलीभीत के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता, व्यवस्था तथा प्रभावशीलता विषयक अध्ययन्।''

शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण– प्रत्येक शैक्षिक अनुसंधान में चयनित शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण आवश्यक है। वर्तमान शोध अध्ययन में निम्नलिखित शोध चरों का परिभाषीकरण किया गया है–

1– परिषदीय विद्यालय– उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत् परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षायें संचालित करने वाले विद्यालय।

2– मध्यान्ह भोजन–परिषदीय विद्यालय में मध्य अवकाश में दिये जाने वाला पका–पकाया भोजन।

3– जागरूकता–मध्यान्ह भोजन योजना को विद्यालय में संचालित करने सम्बन्धी जागरूकता।

4– व्यवस्था– मध्यान्ह भोजन बनवाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था।

5– प्रभावशीलता–मध्यान्ह भोजन के कारण विद्यार्थियों तथा विद्यालयी वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव।

अध्ययन के उद्देश्यः–प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला व पुरूष शिक्षकों का मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित जागरूकता सम्बन्धी दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना।

2– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला व पुरूष शिक्षकों का मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था से सम्बन्धित दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना।

3– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् महिला व पुरूष शिक्षकों का मध्यान्ह भोजन योजना की प्रभावशीलता विषयक दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना।

परिकल्पनाएँ– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं को स्थान दिया गया है–

1– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित जागरूकता सम्बन्धी दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

2– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

3– परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना की प्रभावशीलता विषयक दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

अध्ययन का परिसीमन– समय, श्रम व धन आदि को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन को उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में सीमित रखा गया है।

अनुसंधान विधिः– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ''मध्यान्ह भोजन के प्रति तीन आयाम जागरूकता, व्यवस्था तथा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना है अतः इस अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया।

जनसंख्या एवं न्यादर्शः– प्रस्तुत अध्ययन में जनपद पीलीभीत में स्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् अध्यापकों को जनसंख्या माना गया है। इस अध्ययन में अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद पीलीभीत के 8 विकास क्षेत्रों में से 04 विकास क्षेत्रो का चयन संभावित प्रतिचयन विधि के अन्तर्गत परम्परागत लाटरी विधि के द्वारा किया गया तदोपरान्त चयनित चारों विकास क्षेत्रों से 50–50 शिक्षकों का चयन संयोगजन्य प्रतिचयन विधि से किया गया।

प्रस्तुत उपकरणः– प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता के द्वारा स्वनिर्मित ''मिड–डे–मील योजना दृष्टिकोण मापनी'' का प्रयोग करके प्रदत्त संकलन किया गया।

आंकड़ो का विश्लेषण– इस शोध का उद्देश्य पीलीभीत जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षकों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता, व्यवस्था तथा प्रभावशीलता विषयक अध्ययन करना था। शोधकर्ता ने पूर्व में निर्धारित किये गये उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुसार परीक्षण में प्राप्त आंकडो का क्रमवार विश्लेषण स्वयं द्वारा विकसित मध्यान्ह भोजन योजना दृष्टिकोण मापनी के द्वारा किया है जो इस प्रकार है–

1– मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता विषयक अध्ययन– इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृष्टिकोण मापनी में कुल 08 प्रश्नों को समावेशित किया गया है। विश्लेषण हेतु प्राप्तांको से मध्यमान, मानक विचलन की गणना करके टी–मान ज्ञात किया गया जोकि सारणी 1.1 में दिया गया है–

सारणी 1.1

प्रतिदर्श नाम	N	M	D	σ D	टी–मान
शिक्षक	100	70.50	1	1.00411	0.99590
शिक्षिका	100	71.50			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्यान्ह भोजन योजना कि जागरूकता विषयक प्रश्नों पर पुरूष शिक्षको से प्राप्त मध्यमान 70.50 तथा शिक्षिकाओ से प्राप्त मध्यमान 71.50 तथा मानक विचलन 1.00 पाया गया तथा शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के बीच टी–मान 0.99590 पाया गया। टी–मान सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थकता के लिए न्यूनतम टी–मान एक 1.97 से कम है इस प्रकार परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना के जागरूकता सम्बन्धी दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

2– मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति व्यवस्था विषयक अध्ययन– इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृष्टिकोण मापनी में कुल 16 प्रश्नों को समावेशित किया गया है। विश्लेषण हेतु प्राप्तांको से मध्यमान, मानक विचलन की गणना करके टी–मान ज्ञात किया गया जोकि सारणी 1.2 में दिया गया है–

सारणी 1.2

प्रतिदर्श नाम	N	M	D	σ D	टी–मान
शिक्षक	100	79.87	2.06	1.27	1.622
शिक्षिका	100	81.93			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्यान्ह भोजन योजना के व्यवस्था विषयक प्रश्नों पर पुरूष शिक्षकों से प्राप्त मध्यमान 79.87 तथा शिक्षिकाओं से प्राप्त मध्यमान 81.93 तथा मानक विचलन 1.27 पाया गया तथा शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के बीच टी–मान 1.622 पाया गया। टी–मान सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थकता के लिए न्यूनतम टी–मान एक 1.97 से कम है इस प्रकार परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना के व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

3– मध्यान्ह भोजन योजना की प्रभावशीलता विषयक अध्ययन– इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृष्टिकोण मापनी में कुल 12 प्रश्नों को समावेशित किया गया है। विश्लेषण हेतु प्राप्तांको से मध्यमान, मानक विचलन की गणना करके टी–मान ज्ञात किया गया जोकि सारणी 1.3 में दिया गया है–

सारणी 1.3

प्रतिदर्श नाम	N	M	D	σ D	टी–मान
शिक्षक	100	64.41	1.84	1.14	1.61
शिक्षिका	100	66.25			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्यान्ह भोजन योजना की प्रभावशीलता विषयक प्रश्नों पर पुरूष शिक्षको से प्राप्त मध्यमान 64.41 तथा शिक्षिकाओ से प्राप्त मध्यमान 66.25 तथा मानक विचलन 1.14 पाया गया तथा शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के बीच टी–मान 1.61 पाया गया। टी–मान सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थकता के लिए न्यूनतम टी–मान 1.97 से कम है इस प्रकार परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक व शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना की प्रभावशीलता सम्बन्धी दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नही है।

व्याख्या– औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा से होता है। शिक्षा की यह प्रथम सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई व्यक्ति अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। मध्यान्ह भोजन योजना बालक को विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उसे विद्यालय में रोके रखने के लिए प्रयास करने मे अहम भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत शोध में जनपद पीलीभीत के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापनरत् शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों के विश्लेषण पर यह पाया गया कि शत् प्रतिशत अध्यापकों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उनकें विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनाने के स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता हैं। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने एवं पीने हेतु स्वच्छ पानी की उपलब्धता, भोजन से पूर्व हाथ धोने की व्यवस्था तथा निर्धारित दिवसों पर दूध तथा फल वितरण सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में शत् प्रतिशत शिक्षक –शिक्षिकाओं ने अपनी सहमति व्यक्त की। लगभग 45 प्रतिशत शिक्षक–शिक्षिकाओं के द्वारा मिड–डे–मील की व्यवस्था करने हेतु नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध होने पर असहमति व्यक्त की गयी।

जागरूकता विषयक प्रश्नों के विश्लेषण पर यह ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के पूर्ण स्वच्छता के साथ मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने तथा रसोइयों द्वारा खाद्यान्न को पूरी तरह साफ करने के बाद ही मध्यान्ह भोजन बनाने के प्रति शत् प्रतिशत शिक्षक –शिक्षिकायें सहमत हैं। 37 प्रतिशत शिक्षक तथा 32 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने यह स्वीकार किया कि जागरूक अभिभावकों द्वारा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का समय–समय पर परीक्षण किया जाता है। लगभग 60 प्रतिशत शिक्षक तथा 50 प्रतिशत शिक्षिकायें यह स्वीकार करती है कि मध्यान्ह भोजन बनवाने में शिक्षकों की भागीदारी को आवश्यक किया जाना चाहिए।

- प्रभावशीलता विषयक प्रश्नों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि लगभग एक चौथाई शिक्षक तथा एक तिहाई शिक्षिकायें यह स्वीकार करती हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूकता तथा प्रभावशीलता के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। लगभग 50 प्रतिशत शिक्षक–शिक्षिकायें इस तथ्य से सहमत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना विद्यार्थियों में भोजन के प्रति रूचि बढाने में

सहायक है। लगभग एक तिहाई शिक्षक–शिक्षिकायें यह मानते है कि मध्यान्ह भोजन योजना से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। उपर्युक्त शोध के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सिन्हा निधि (2019) मिड–डे–मील : ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ इण्डियन स्टेट, आईजेआरएआर टवसण्6;02द्ध तथा तत्वमसी पलटा सिंह, प्रकाश भुए इफीसिएंसी ऑफ मिड–डे–मील स्कीम इन इण्डिया : चैलेंजेज एण्ड पालिसी कर्नर्स, इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 से प्राप्त निष्कर्ष की मध्यान्ह भोजन योजना नामांकन वृद्वि मे सहायक है, से भी सम्बन्धित पाये गये।

मध्यान्ह भोजन योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव–

- विद्यालयों मे मध्यान्ह भोजन योजना को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- 37 प्रतिशत शिक्षक तथा 32 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने शोध मे यह माना कि अभिभावकों के द्वारा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का समय–समय पर परीक्षण किया जाता है। अभिभावकों द्वारा समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच किया जाना आवश्यक जिससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहे।
- मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु शासन द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही धनराशि को बड़ा कर भोजन को अधिक पौष्टिक और रूचिकर बनाया जा सकता है।
- विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे निर्बल आय वर्ग के विद्यार्थी प्रतिदिन तथा पूर्ण समय विद्यालय में उपस्थित रहें।
- मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में अध्यापक तथा ग्राम प्रधान व प्रबन्ध समिति के बीच ताल–मेल अपरिहार्य है जिससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहे।
- ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना की जांच की जानी चाहिए।
- अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकांश विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहे जिससे अधिक से अधिक मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ उठा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अमर उजाला, हरदोई, 07 मार्च 2024
- अमृत विचार, लखीमपुर खीरी, 17 फरवरी 2024
- बेसिक फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश शासन।
- कैरियर 360, 20 फरवरी 2023
- दैनिक भास्कर, 29 जुलाई 2022
- ग्रुप दृष्टि एडिटोरियल, मिड–डे–मील की चुनौतियां, 2016–2023 मुखर्जी नगर दिल्ली।
- गुप्ता एस पी 2005 आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
- इण्टरनेशनल जनरल आफ अप्लाईड रिर्सच टवसण्09;01द्धए2023
- कपिल एच के 2004 अनुसंधान विधियां, लखनऊ, वेदान्त पब्लिकेशनस।
- खेडा रीतिका, मिड डे मील योजना भारत के लिए क्यों जरूरी है, आईआईएम अहमदाबाद 07 सितम्बर 2019
- मध्यान्ह भोजन योजना संदर्शिका जुलाई 2006
- प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन आदेश संख्या सी–1305 दिनांक 11 अक्टूबर 2021
- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन आदेश संख्या 720/79–6–2013 दिनांक 25 जुलाई 20131
- शिक्षक–शिक्षा शोध पत्रिका (एन इण्टरनेशनल जनरल ऑफ टीचर एजुकेशन) टवसण्10;03द्धए2016
- सिंह तत्वमसी, पलटा भूप्रकाश, इफीसिएंसी ऑफ मिड–डे–मील स्कीम इन इण्डिया : चैलेंजेज एण्ड पालिसी कर्नर्स।
- सिन्हा निधि, मिड–डे–मील : ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ इण्डियन स्टेट, आई जे आर ए आर टवसण्6;02द्धए2019
- त्रिपाठी विवेक नाथ, मिश्र दुर्गेश कुमार 2016 सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्क अध्ययन। शिक्षक शिक्षा शोध पत्रिका टवसण्10;03द्धए2016
- http://mdm.nic.in
- http://www.upmd.in
- https://www.upmdm.org
- https://pmposhan.education.gov.in